न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 61/2026

मोहसीन राशीद खानं निवासी राज टाकीज रोड, वार्ड नं. 19 टोंक जिला टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 02.06.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 25.03.2026 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

आशीर्वाद शिक्षण सेवा संस्थान, टोंक, ज़रिए अध्यक्ष मिथलेश गर्ग पुत्र राधेश्याम गर्ग की भूमी खसरा संख्या 1050, पटवार हल्का सोनवा, तहसील टोंक, नया खाता संख्या 506, पुराना खाता संख्या 251,

1. उक्त भूमि का शेक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपांतरण किस दिनांक को किया गया, वह दिनांक बताएँ ।
2. उक्त भूमि का तहसील से पंजीकृत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रुपांतरण पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।
3. नगर परिषद द्वारा जारी किए गए पट्टा संख्या 1688, दिनांक 26/05/2023 एवं 1689 दिनांक 26/05/2023 की उप पंजीयक, टोंक (राज) द्वारा हस्ताक्षरित एवं पंजीकृत प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1062 दिनांक 18.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 170 दिनांक 25.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव आयुक्त नगर परिषद टोंक कार्यालय से होने से उनके पत्र कमांक 266 दिनांक 06.04.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 267 दिनांक 06.04.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

845